कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थायें, मध्यप्रदेश

क्रमांक/साख/विधि/2018/24995　　　　भोपाल, दिनांक 14.9.18

विज्ञप्ति

कनिष्ठ संविदा विक्रेता की नियुक्ति

सहकारिता विभाग के अंतर्गत पंजीकृत प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं हेतु

पद का विवरण :-

1. मप्र के समस्त जिलो में सहकारी संस्थाओ (प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं/पैक्स) के रिक्त पदों के लिए ही आवेदन स्वीकार किये जायेंगे।
2. सहकारी संस्थाओ में रिक्त एवं आरक्षणवार पदों की जानकारी एमपीऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध है कृपया आवेदन से पहले संस्थाओं की पदों एवं आरक्षण की जानकारी प्राप्त करने का बाद ही आवेदन भरे।
3. मप्र के समस्त जिलो में सहकारी संस्थाओ (प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं/पैक्स) में कुल 3629 रिक्त पदों के लिए भर्तियां होनी है।
4. किसी भी समय रिक्तियों की संख्या कम, ज्यादा या समाप्त की जा सकेगी।
5. आवेदक अपने स्थाई पता से सम्बंधित सहकारी संस्था (प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं/पैक्स) के लिए आवेदन कर सकता है।

शैक्षणिक योग्यता :-

1. आवेदन भरने हेतु मान्यता प्राप्त संस्थान से हायर सेकेंडरी (12th) परीक्षा उतीर्ण होनी चाहिए परन्तु सरकार द्वारा वे क्षेत्र जिन्हें अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है से सम्बंधित आवेदक के लिए कम से कम हाई स्कूल (10th) के परीक्षा में उतीर्ण होना आवश्यक होगा।
2. मप्र की किसी विश्वविद्यालय से संबंध संस्थान/शासकीय पॉलीटेकनिक महाविद्यालय/शासकीय आई.टी.आई.से कम से कम 6 माह की अवधि का कम्प्यूटर संचालन की योग्यता का प्रमाण पत्र अथवा डिप्लोमा अथवा डिग्री (स्नातक) धारित आवेदकों को अतिरिक्त लाभ दिया जावेगा।
3. वाणिज्य में स्नातक आवेदकों को अतिरिक्त लाभ दिया जावेगा।

आयु सीमा :-

दिनांक **01/01/2018** के अनुसार आवेदकों के आयु गणना एवं आयु सीमा में छूट का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	श्रेणी	आधिकतम आयु
1	पुरूष आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	40 वर्ष
2	महिला आवेदक (सभी वर्ग)	45 वर्ष
3	पुरूष आवेदक (अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूची जनजाति	45 वर्ष

निरन्तर --

नोट:- आवेदन भरने हेतु आवेदकों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए परन्तु महिला अजा/अजजा तथा अन्य पिछडा वर्ग के आवेदकों को 5 वर्ष की आयु सीमा में छूट होने से अधिकतम आयु 45 वर्ष होगी। किसी भी स्तिथि में आयु सीमा के सभी लाभ लेने के बाद किसी आवेदक की आयु 45 वर्ष से ज्यादा नही होगी।

शुल्क सबंधित विवरण:-

आवेदक Rs. 200/- (जीएसटी सहित) शुल्क का भुगतान कर विक्रेता पद हेतु आवेदन एमपीऑनलाइन के कीओस्क या आवेदक ऑनलाइन बैंकिंग/क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड के माध्यम से शुल्क भुगतान कर स्वयं ऑनलाइन आवेदन कर सकता है।

दस्तावेजों का विवरण:-

आवेदन भरने हेतु निम्नलिखित दस्तेवेजों की कॉपी.jpeg/.jpg फॉर्मेट में स्केन कर अपलोड करना आवेदक के लिए अनिवार्य होगा।

1. 10th अंकसूची
2. 12th अंकसूची
3. कम्प्यूटर संचालन की योग्यता का प्रमाण पत्र (आवश्कता अनुसार)
4. कम्प्यूटर संचालन की योग्यता का डिप्लोमा (आवश्कता अनुसार)
5. कम्प्यूटर संचालन की योग्यता की डिग्री (स्नातक) (आवश्कता अनुसार)
6. वाणिज्य स्नातक की अंकसूची। (आवश्कता अनुसार)
7. मूलनिवासी प्रमाण पत्र
8. जाति प्रमाण पत्र

आवेदन प्रक्रिया हेतु दिनांक:-

क्र.	गतिविधिया	दिनांक से
1	विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तिथि	14/09/2018
2	ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि	14/09/2018
3	ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि	28/09/2018
4	आवेदन में संशोधन किये जाने की अंतिम तिथि	30/09/2018

मेरिट लिस्ट एवं चयन प्रक्रिया हेतु शर्ते:-

कनिष्ठ संविदा विक्रेता के पद पर चयन हेतु 150 अंक निर्धारित किये जाते हैं जो आवेदक की योग्यता के आधार पर निम्नानुसार प्रदान किये जावेंगे:-

1. 10+2 हायर सेकेण्डरी (अनुसूचित क्षेत्र में हाई स्कूल परीक्षा) में कुल प्राप्त अंकों को अधिकतम 100 अंक दिये जावेंगे अर्थात प्राप्त प्रतिशत के बराबर अंक प्रदान किये जावेंगे। (उदाहरणार्थ यदि किसी आवेदक को हायर सेकेण्डरी परीक्षा में 75 प्रतिशत अंक प्राप्त हुये हैं तो उसे 75 अंक दिये जावेंगे)।
2. कम्प्यूटर संचालन योग्यता मे डिप्लोमाधारी अभ्यर्थी को 15 अंक एवं डिग्रीधारी हेतु 25 अंक प्रदान किये जावेगे ।
3. वाणिज्य स्नातक अभ्यार्थियों को 10 अंक पृथक से प्राप्त प्रतिशत अंकों के आधार पर दिये जायेंगे अर्थात 63 प्रतिशत प्राप्तांकों को 6.3 अंक दिये जावेंगे।
4. उपरोक्त प्रक्रिया के आधार पर आवंटित अंकों को जोड़कर प्रावीण्य सूची तैयार की जावेगी। दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक होने पर (10+2) हायर सेकेण्डरी में अधिक अंक वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता, हायर सेकेण्डरी में अंक समान होने पर वाणिज्य स्नातक को प्राथमिकता, दोनों अभ्यर्थियों के वाणिज्य स्नातक होने पर स्नातक में अधिक अंक वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता तथा वाणिज्य स्नातक में भी अंक समान होने पर अधिक आयु वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता।
5. एम.पी. ऑनलाइन से प्राप्त चयन सूची के आधार पर कर्मचारी सेवा नियम में गठित चयन समिति द्वारा चयनित उम्मीदवारों के मूल दस्तावेजों का सत्यापन तथा अनुबंध पत्र की जानकारी प्रदान कर अभ्यर्थी से सहमति प्राप्त की जावेगी। मूल दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान यदि अभ्यर्थी द्वारा आवेदन के समय अपलोड कराये गये दस्तावेजों में कोई भिन्नता पाई जाती है, तो अभ्यर्थी का चयन निरस्त कर दिया जायेगा तथा पश्चावर्ती समय में भी यदि दस्तावेजों में कोई भिन्नता पाई जाती है, तो नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी। चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर संबंधित पैक्स समिति द्वारा नियुक्ति आदेश जारी किये जावेंगे।
6. चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति के समय सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मध्यप्रदेश के मूल निवासी का प्रमाणपत्र, अन्य सभी शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र तथा जो अभ्यर्थी आयु सीमा में छूट चाहते हैं या आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं उन्हें आवष्यक प्रमाण-पत्र की मूल प्रति सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना होगी।
7. भर्ती का प्रकार - उचित मूल्य विहीन ग्राम पंचायतों मे नवीन दुकान खोले जाने पर या भविष्य में विक्रेता विहीन दुकान में विक्रेता की नियुक्ति अनुबंध के आधार कनिष्ठ संविदा पर सेवानियम अनुसार योग्यताधारी अभ्यर्थी से की जा सकेगी, परन्तु भविष्य में यदि संस्था की दुकान किसी कारण से बंद हो जाती है या संस्था दुकान संचालित करना बंद कर देती है, तो संबंधित विक्रेता की सेवाऐं स्वयंमेव समाप्त मानी जावेगी।
8. अनुबंध के आधार पर नियुक्त कनिष्ठ संविदा विक्रेता से नियुक्ति के पूर्व संलग्न प्रारूप अनुसार संबंधित पैक्स समिति तथा नवनियुक्त कनिष्ठ संविदा विक्रेता के मध्यम अनुबंध निष्पादित किया जायेगा।
9. अनुबंध के आधार पर नियुक्त कनिष्ठ संविदा विक्रेता- अनुबंध के आधार पर नियुक्त कनिष्ठ संविदा विक्रेता को खाद्य विभाग द्वारा वर्तमान प्रावधान अनुसार प्रति दुकान रू. 8400/- प्रतिमाह देय कमीशन मे से राशि रू. 6000/- (छः हजार) प्रतिमाह मानदेय का भुगतान किया जावेगा, तथा भविष्य मे खाद्य विभाग द्वारा मानदेय मद मे राशि बढाये या घटाये जाने पर मानदेय का तदानुसार भुगतान किया जावेगा।
10. प्रदेश की 4500 से अधिक प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं द्वारा संचालित उचित मूल्य की दुकानों हेतु कनिष्ठ संविदा विक्रेताओं की नियुक्ति आॅन लाईन पोर्टल के माध्यम से की जाना है।
11. कनिष्ठ संविदा विक्रेता की चयन सूची प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थावार एवं रिक्त पदों की संख्या के आधार पर आरक्षणवार तैयार की जाना होगी।
12. कनिष्ठ संविदा विक्रेता की नियुक्ति हेतु संपूर्ण चयन प्रक्रिया का नियत्रंण एवं पर्यवेक्षण जिला कलेक्टर के अधीन होने से जिला स्तर पर पोर्टल का लागिन आई.डी. दिया जाना होगा।

13. प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थावार रिक्त पदों की आरक्षणवार जानकारी जिला स्तर पर प्रविष्टि की जाना होगी।
14. अभ्यर्थी जिस ग्राम का निवासी है, उसी ग्राम से संबंधित प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था के कनिष्ठ संविदा विक्रेता हेतु आवेदन कर सकेगा।
15. अभ्यर्थी आवेदन के साथ अपने हस्ताक्षर, फोटो, आधार कार्ड, 12वीं/10वीं(अनुसूचित क्षेत्र के लिये) की अंकसूची, वाणिज्य स्नातक की अंकसूची, कम्प्यूटर संचालन में योग्यता के संबंध में प्रमाण पत्र/डिप्लोमा/डिग्री की प्रति, मूलनिवासी का प्रमाण पत्र, आयुसीमा में छूट चाहने पर आवश्यक प्रमाण पत्र तथा आरक्षित पद हेतु आवेदन करने पर आवश्यक प्रमाण पत्र की प्रति पोर्टल पर अपलोड की जाना होगी।
16. कनिष्ठ संविदा विक्रेता नियुक्ति की प्रक्रिया हेतु सहकारिता विभाग अथवा प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति द्वारा कोई शुल्क देय नहीं होगा, परन्तु पोर्टल चार्जेज तथा कियोस्क चार्जेज के रूप में आवेदक से रू. 200/- (जी.एस.टी. सहित) तथा आवेदन में संशोधन हेतु रू. 50/-(जी.एस.टी. सहित) आवेदक द्वारा दिया जायेगा।
17. इस प्रक्रिया के तहत नियुक्त किये जा रहे कनिष्ठ संविदा विक्रेता राज्य शासन/सहकारिता विभाग के कर्मी संविदा/अन्य किसी आधार पर नहीं माने जायेंगे। कनिष्ठ संविदा विक्रेता संबंधित पैक्स समिति के कर्मचारी होंगे तथा उनके कर्मचारी सेवानियमों से ही शासित होंगे।

(आयुक्त सहकारिता द्वारा अनुमोदित)

संयुक्त आयुक्त
सहकारिता म.प्र.